29/9/25 वकील प्रार्थी उप०। [illegible] वादी [illegible] किया जाता है। [illegible] [illegible] [illegible] से [illegible] [illegible] [illegible] पत्रावली [illegible] जावे। पत्रावली [illegible] नियमानुसार [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] दाखिल [illegible] [illegible] [illegible] जावे।

[signature]

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2025.11.07 10:39:53 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(औ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम करौली व इजलास प्रेमराज मीना (आर.ए.एस.)

उनवान

श्री मंगल गिरी चेला गौरी गिरी कौम गौरवागी संत श्री पंचायती महा निर्वाणी अखाडा मंदिर श्री ठाकुर जी वीर हनुमान जी बगीची वीर हनुमानजी सायनाथ खिडकिया बाहर करौली तहसील करौली जिला करौली

–वादीगण

बनाम

1. लैण्ड हॉल्डर जरिये तहसीलदार करौली
2. शिवसिंह पुत्र गणेशसिंह जाति राजपूत निवासी महुआखेडा तहसील मासलपुर करौली

–प्रतिवादीगण

दावा घोषणा व खातेदारी व इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. 125/14

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी **श्री विष्णु चंद बंसल, एडवाकेट** मिनजानिब मुदई रूबरू **श्री अशोक सिंह, एडवोकेट** मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज से भूमि सिवायचक सरकारी एवं नगर परिषद व आबादी भूमि होने से वादीगण व प्रतिवादी नंबर 2 को किसी प्रकार के हक हकूक खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते है और वादीगण भूमि की किसी प्रकार की खातेदारी घोषणा कराने के एवं किसी प्रकार की स्थाई निषेधाज्ञा प्रतिवादी नंबर 1 के विरूद्व प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। प्रतिवादी नंबर 2 ने पुजारी होने का कोई दस्तावेज पत्रावली में पेश नहीं किया है। दावा वादीगण खारिज किये जाने योग्य है। अतः दावा वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण खारिज किया जाता है। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निज ..... मुबलिग ..... बाबत ..... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद निज बगरह ..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ..... का अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनाक 29/9/25 को सन् 2025 को जारी की गई।

मुहर

उपखण्ड अधिकारी,
करौली

मुदई	रूपया	पैसे	मुददायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प बजह सबूत			महन्ताना अर्जी		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक			मीजान		
मीजान					

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem R
Date: 2025.11.07 10:39:53
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी,
करौली

टः–इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज रना चाहिये।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली (राज0)

पीठासीन अधिकारी प्रेमराज मीना, उपखण्ड अधिकारी (RAS)

मु0न0:–125 / 14 तारीख रजु:–24.12.2014

उनवान

श्री मंगल गिरी चेला गौरी गिरी कौम गोस्वामी संत श्री पंचायती महा निर्वाणी अखाडा मंदिर श्री ठाकुर जी वीर हनुमान जी बगीची वीर हनुमानजी सायनाथ खिडकिया बाहर करौली तहसील करौली जिला करौली

–वादीगण

बनाम

1. लैण्ड हॉल्डर जरिये तहसीलदार करौली
2. शिवसिंह पुत्र गणेशसिंह जाति राजपूत निवासी महुआखेडा तहसील मासलपुर करौली

–प्रतिवादीगण

दावा घोषणा व खातेदारी व इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा

–::निर्णय::– दिनांक:– 29/9/25

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी सन् 1960 से मंदिर ठाकुर जी वीर हनुमान जी की सेवा पूजा करता है एवं मंदिर की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी खसरा नंबर 4824 रकबा 18 बिस्वा व खसरा नंबर 4825 रकबा 1 बिस्वा व खसरा नंबर 4826 रकबा 7 बिस्वा वाके कस्बा करौली पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। जिसका [illegible] राजस्व रिकॉर्ड में अंकित है। उपरोक्त आराजीयात [illegible] नंबर 4829 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा व खसरा नंबर 48[illegible] खसरा नंबर 4827 रकबा 16 बिस्वा व खसरा नंबर 4828 रकबा 13 बि[illegible] किस्म गैर मुमकिन बीहड है। जिस पर वादी का संवत 2022 से लेकर आज तक कब्जा काश्त निरविघ्न रूप से चला आ रहा है। जिसकी प्रतिवादी एवं करौली नगरवासियों को पूर्णतया जानकारी है। वादी ने अपने सन्यासी जीवन

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Ra
Date: 2025.11.07 10:39:53 I
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

का बहुमूल्य समय एवं धन इस अटैच आराजीयात को काबिल काश्त बनाने एवं लिखित करने में गुजारा है वादी ने जिस्मानी मेहनत एवं जनसहयोग से सुन्दर बगीची एवं सत आश्रम बनाया है। जिस पर विधुत कनेक्शन वादी के नाम जारी है। जिसमें मोटर पम्प लगाया इसी चाह से आराजीयात की सिंचाई होती है। वादी अब तक प्रतिवादी को हजारों रूपये तावान अदा कर चुका है। वादी का प्रतिवादी की उक्त आराजीयात पर 30 वर्ष से अधिक समय से मुखालपाना कब्जाकाश्त चला आ रहा है जो ओपन होस्टाइल एवं पजेशन है जिसकी प्रतिवादी को पूर्णतया जानकारी है। वादी मुखालपाना कब्जा के आधार पर कानून खातेदारी उक्त आराजीयात की घोषणा अपने नाम कराने का मुस्तहिक है। कि वादी का 30 वर्ष से अधिक पुराना कब्जा काश्त होने बाबत दिये गये नोटिस एव विभिन्न निर्णय खसरा परिवर्तनशील की नकल तावान की रसीदें सबूत पेश है। वादी के हक में 2.11.1977 तत्कालीन तहसीलदार भगवती प्रसाद सक्सेना ने उक्त आराजीयात वादी के नाम रेगलाईज करने की सिफारिश की आदेश की उच्चाधिकारियों ने कोई तब्बजो नही दी और मेरे विरूद्व दफा 91 एलआर एक्ट में प्रतिवर्ष जारी रही। इसके बाद मुकदमा नंबर 270/82 फैसला तहसीलदार करौली दिनांक 3.2.86 की अपील अतिरिक्त जिला कलक्टर कोर्ट करौली में की जिसके नंबर 61/86 तारीख फैसला 27.9.86 मेरे हक में हुआ जो बहुत ही महत्वपूर्ण था मगर उसकी पालना आज तक प्रतिवादी ने नहीं की जिसके बाबत वादी बार–बार लिखित एवं मौखिक निवेदन प्रतिवादी को करता चला आ रहा है। उक्त निर्णय में यह भी प्रतिवादी को आदेश है कि उक्त आराजीयात वादी के नाम रैगूलाईज या अलॉटमेंट होने तक बेदखली कार्यवाही स्थिगित रखेगें एवं तावान के बजाये वादी से लगानी दर से लगान लिया जावें। यह निर्णय अतिरिक्त जिला कलक्टर करौली ने स्वंय बगीची का मौका देखा, नगरपालिका का अनापत्ति प्रमाण पत्र पेश होने पर दिया था। जिसमें वादी का कब्जा काश्त संवत 2023 से पूर्व का माना है फिर भी प्रतिवादी जबरन गैर कानूनी रूप से बेदखली की धमकी देकर तावान वसूलता आ रहा [illegible] जिसके हकूक वादी पर भी आघात है एवं वादी को अ[illegible] वादी कब्जा काश्त से बेदखल नहीं करने तावान न[illegible] निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का मुश्तहिक है। वादी 30 वर्षों से अधिक समय [illegible] जिस्मानी मेहनत एवं लाखों रूपये लगाकर जमीन को समतल कर काबिज करश्त बनाया है जिसकी खसरा गिरदावरी पेश है जमीन किस्म अब गैर मुमकिन बीहड ना होकर चाही अब्बल हो गई है एवं चाह से सिचित है दोनों

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Ra
Date: 2025.11.07 10:39:53
Reason: SelfAttested

2/11
उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

फसल होती है एवं राजस्व रिकॉर्ड में उक्त आराजीयात गैर मुमकिन बीहड दर्ज है जो गलत है वादी इसे दुरूस्त कराकर उक्त आराजीयात को चाही अब्वल राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने का अधिकारी है। प्रतिवादी द्वारा बार–बार बेदखली की धमकी देने एवं आराजीयात को रेगूलाईज करने से इन्कार करने पर एवं प्रतिवादी द्वारा कल दिनांक 6.8.2003 को तहसील में बेदखली की धमकी देने पर विनाय मुखासमत दावा पैदा हुई जो श्रीमानजी के क्षेत्राधिकार में है। अतः में दावा वादी डिक्री किये जाने का का निवेदन किया है।

दावा वादीगण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा जबाव प्रस्तुत कर कथन किया है कि खसरा नंबर 4824 रकबा 0.18 बीघा, खसरा नंबर 2825 रकबा 0.01 बीघा, खसरा नंबर 4826 रकबा 0.07 बीघा किस्म बारानी वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में मंगल गिरी चेला गिरी कौम गोस्वामी सा. देह वीर हनुमान खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है व उक्त खसरा नंबर सेंटलमेंट खतौन जमाबंदी संवत 2015 में खाता संख्या 2124 कॉलम संख्या 03 में माफी मंदिर श्री हनुमान जी बनाम भगवान दास पुत्र हरकिशोर जाति ब्राहम्ण सा. देह दर्ज है। आराजी खसरा नंबर 4829 रकबा 2.03 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन बेहड, खसरा नंबर 4830 रकबा 0.10 बीघा किस्म गैर मुमकिन बेहड वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में नगरपालिका करौली (नगरपरिषद, करौली) के नाम दर्ज है व खसरा नंबर 4827 रकबा 0.16 बीघा, 4828 रकबा 0.08 बीघा किस्म गैरमुमकिन आबादी जोकि खाता संख्या 01 में निवास व वास राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है एवं सेटलमेंट खतौनी जमाबंदी संवत 2015 से खसरा नंबर 4829 व 4830 किस्म गै.मु. आबादी एवं खसरा नंबर नंबर 4827 व 4828 किस्म गै.मु. बेहड, अनाधिकृत कृषि अयोग्य भूमि खाता संख्या 890 में दर्ज है। शेष अस्वीकार है। सरकारी भूमि पर अतिक्रमण होने पर एल आर एक्ट की धारा 91 के तहत कार्यवाही की जाती है। सरकारी भूमि पर अतिक्रमण होने पर एल आर एक्ट की धारा 91 के तहत नियमानुसार कार्यवाही कर अतिक्रमी को बेदखल की कार्यवाही की जा सकती है। बिन्दु संख्या 05 अस्वीकार है। बिन्दू संख्या 06 अस्वीकार है। एल आर एक्ट के तहत नियमानुसार कार्यवाही कर अतिक्रमी के विरूद्व बेदखल की कार्यवाही की जा सकती है व प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा जबाव दावा प्रस्तुत कर कथन किया कि वादपत्र के पैरा नंबर 1 में वादी सन् 1960 से मंदिर ठाकुर जी वीर हनुमानजी सेवा करने वाली बात सही है। इसके पश्चात दिनांक 15.9.2012 से लगातार

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Ra
Date: 2025.11.07 10:39:53
Reason: SelfAttested

जबाबदार शिवसिंह पूजा सेवा करता चला आ रहा है और वादी दिनाक 15.9 2012 से उक्त मंदिर की सेवा पूजा से कोई संबंध व ताल्लुक नहीं है एव मंदिर की खातेदारी कब्जे काश्त की आराजी खसरा नंबर 4824 रकबा 18 बिस्वा एवं खसरा नंबर 4825 रकबा 1 बिस्वा व खसरा नंबर 4826 रकबा 7 बिस्वा व वाके कस्बा करौली पर 15.9.2012 से पूर्व कब्जा काश्त होने वाली बात सही है एवं 15.9.2012 के बाद जबावदार नंबर 2 का कब्जा निरन्तर चलता चला आ रहा है एवं आराजीयात खसरा नंबर 4829 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा व खसरा नंबर 4830 रकबा 10 बिस्वा व खसरा नंबर 4827 रकबा 16 बिस्वा व खसरा नंबर 4828 रकबा 13 बिस्वा गैर मुमकिन बेहड संवत 2022 से आज तक कब्जा होने वाली बात गलत है बल्कि उक्त भूमि व मंदिर परिसर पर जबावदार नंबर 2 का दिनांक 15.9.2012 से मालिकाना काबिजाना चलता चला आ रहा है। वादी ने जबाबदार नंबर 2 शिवसिंह के हक में दिनांक 15.9.2012 को एक इकरारनाम स्टाम्प कीमती 100/– रूपये किता एक व एक सादा पेपर कुल किता 2 पर तहरीर की गई थी। जिसमें यह लिखकर दिया गया कि वीर हनुमान सायनाथ खिडकिया बाहर मैढकी करौली में स्थित है। वीर हनुमान जी की आराजी खसरा नंबर 4829 वाके कस्बा करौली में स्थित भूमि है जिसका मैं बतौर महन्त खातेदार काश्तकार काबिज हूं चूंकि मैं प्रथमपदा बहुत ही बुजुर्ग हूं मेरी उम्र लगभग 102 वर्ष की है। मुझे चलने फिरने व हनुमान जी की सेवा पूजा में कठिनाईयां होती है और मै ठीक प्रकार नहीं कर पा रहा हूं और हनुमान जी की संपत्ति जमीन जायदाद व मंदिर की देखभाल सुरक्षा के लिये शिवसिंह पुत्र गणेशसिंह जाति राजपूत निवासी महुआखेडा तहसील करौली जिला करौली द्वितीय पक्ष को नियुक्त किया है। इसकी ऐवज में मैने द्वितीय पक्ष शिवसिंह उक्त भूमि भूखण्ड पर रिहायशी निर्माण करें व रिहायश करने का पूर्ण हक व अधिकार होगा। इसमें मैं या मेरे वारिसान किसी प्रकार का उज्र नहीं करेंगे यदि उज्र करेंगे तो झूठा माना जावेगा। आज के बाद उक्त हनुमान जी की संपत्ति जमीन जायदाद मंदिर की सुरक्षा की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष शिवसिंह की होगी। यह लिखा वादी ने प्रतिवादी के हक में स्टाम्प लिखवाकर अपने हस्ताक्षर व गवाह करणसिंह व वीरेन्द्र के हस्ताक्षर कराकर नोटेरी पब्लिक गोपाल लाल गुप्ता से तस्दीक कराकर उक्त लिखावट को वादी ने प्रतिवादी को सुपुर्दकर दी जो जबाब के साथ प्रस्तुत है। तभी से प्रतिवादी नंबर 2 शिवसिंह उक्त मंदिर की पूजा करता चला आ रहा है एवं उक्त संपत्ति की देखभाल करता चला आ रहा है एवं उक्त भूखण्ड 60X40 वर्गफीट पर लगातार कब्जा बनाकर कमलेश

Signature Not Verif
Digitally signed by Prem
Date: 2025.11.07 10:39:
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
करौली (राज०)

पुत्र प्रभुलाल जाति प्रजापत निवासी रानीपुरा जाखौदा वाले से उक्त भूखण्ड पर मकान बनाने का ठेका दिनांक 17.11.2012 को देकर उक्त भूखण्ड का निर्माण करवाया था तभी से उक्त भूखण्ड पर जबावदार नंबर 2 शिवसिंह लगातार निवास करता चल आ रहा है। वादपत्र का पैरा नंबर 2 गलत है और स्वीकार नहीं है। 15.09.2012 से प्रतिवादी नंबर 1 उक्त वीर हनुमानजी सेवा पूजा करता चला आ रहा है एवं उक्त स्थान पर प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा निर्माण करवाकर निवास करता चला आ रहा है एवं उक्त मंदिर व संपत्ति की देखभाल व सुरक्षा करता चला आ रहा है एवं दिनांक 15.9.2012 से वादी का उक्त मंदिर व संपत्ति से कोई ताल्लुक नहीं रहा है। वादपत्र का मद नंबर 3 में दर्ज इबारत में प्रतिवादी नंबर 2 उक्त आराजी खसरा नंबर 4829 में से एक भूखण्ड 40X60 फीट को अपने लम्बे समय से रिहायश कब्जे के आधार पर अपने नाम कराने का अधिकारी है। क्योंकि उक्त आराजी खसरा नंबर 4829 में उक्त भूखण्ड को बनवाने में लाखों रूपये खर्च कर लागत निर्माण में आयी हुयी थी एवं तभी से उक्त मंदिर की सेवा पूजा बही रह कर जबावदार नंबर 2 करता चला आ रहा है। दिनांक 15.09.2012 से उक्त संपत्ति की देखभाल सार संभाल करता चला आ रहा है। उक्त भूमि में वादी का कोई संबंध ताल्लुक नहीं है। वादी चाही गयी सहायता विरूद्व प्रतिवादी जबाबदार प्राप्त करने का हकदार व अधिकारी नहीं है। दावा वादी विरूद्व जबावदार प्रतिवादी मय खर्चा खारिज किया जावे। अन्त में दावा वादीगण खारिज मय खर्चा खरिज फरमाये।

वादीगण व प्रतिवादीगण ने अभिवचनों के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गयीः–

1. आया विवादित आराज खसरा नंबर 4827 लगायत 4830 कुल किता 4 कुल रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा कस्बा करौली वादी मंदिर के संवत 2023 से कब्जे काश्त में है। वादी अपने हक में खातेदारी घोषणा कराने का अधिकारी है।

–वादी

2. आया विवादित आराजी आराजीयात पर खातेदार काश्तकार है और प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी है।

–वादी

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

Signature Not Ver
Digitally signed by Pre
Date: 2025.11.07 10:3
Reason: SelfAttested

3. आया खसरा नंबर 4829 में प्रतिवादी नंबर 2 का 40X60 फीट का भूखण्ड है जिसमें प्रतिवादी नंबर 2 मंदिर की सेवा पूजा कर रहा है। इसका दावे पर क्या असर है।

–प्रतिवादी

4. अनुतोषः–

वाद विद्याधक विन्दू वादीगण साक्ष्य ली गई। वादीगण से अपने मौखिक साक्ष्य में वादी गवाह गौतमचंद गिरी चेला मंगलगिरी व विश्वास गिरी चेला मंगल गिरी पीडब्लू–1 के बयान लेखबद्व कराये एवं दस्तावेजी सबूत में नोटिस धारा 91(1) एलआर एक्ट दिनांक 12.12.72 प्रदर्श–1, तहसीलदार का नोटिस दिनांक 04.05.71 प्रदर्श–2, तहसीलदार का नोटिस दिनांक 29.08.72 प्रदर्श–3 एवं नोटिस दिनांक 16.12.71 प्रदर्श–4 व 4.7. 73 प्रदर्श–5 व नोटिस दिनांक 16.3.77 प्रदर्श–6, नोटिस 91 एलआर एक्ट दिनांक 19.5.98 प्रदर्श–7, व नोटिस दिनांक 12.2.75 प्रदर्श–8, नोटिस दिनांक 6.9.75 प्रदर्श–9, नोटिस दिनांक 28.9.77 प्रदर्श–10, नोटिस दिनांक 01.12.78 प्रदर्श–11, नोटिस दिनांक 3.6.81 प्रदर्श–12, नोटिस दिनांक 14.2.82 प्रदर्श–13, नोटिस दिनांक 5.5.83 प्रदर्श–14, नोटिस दिनांक 17.9.83 प्रदर्श–15, नोटिस दिनांक 17.5.83 प्रदर्श–16, नोटिस दिनांक 15.9.83 प्रदर्श–17, नोटिस दिनांक 23.9.85 प्रदर्श–18, नोटिस दिनांक 06.12.93 प्रदर्श–19, नोटिस दिनांक 07.07.79 प्रदर्श–20, नोटिस दिनांक 19.2.99 प्रदर्श–21, नोटिस दिनांक 31.8.2000 प्रदर्श–22, खसरा परिवर्तनशील संवत 2023 से 2035 एवं संवत 2038 से 2041 एवं संवत 2055 से 2057–58, 2056, 2059 प्रदर्श–23 लगायत प्रदर्श–47, लगान रसीद प्रदर्श–48 से प्रदर्श–62, खसरा गिरदावरी संवत 2028 प्रदर्श–63, नोटिस दिनांक 28.4.87 प्रदर्श–64, नक्शा ट्रेस प्रदर्श–65, आवेदन तहसीलदार प्रदर्श–66 एवं लगान रसीद प्रदर्श–67 व 68, आवेदन जिला कलक्टर प्रदर्श–69, खसरा गिरदावरी संवत 2036 से 2039 प्रदर्श–[illegible] विक्रय पत्र दिनांक 23.2.75 प्रदर्श–71, नकल आर्डर शीट 2.11.77 प्रदर्श–72, एवं रिपोर्ट नकल तहसीलदार करौली प्रदर्श–73, निर्णय दिनांक 27.9.86 अति0 जिलाधीश करौली प्रदर्श–74, निर्णय दिनांक 01.10.2001 प्रदर्श–75, ऑर्डर शीट तहसीलदार करौली प्रदर्श–76, असल विद्युत बिल प्रदर्श–77 को प्रदर्शित कराया है। साक्ष्य वादी समाप्त की जाकर साक्ष्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem
Date: 2025.11.07 10:39:5
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

प्रतिवादीगण ली गई। प्रतिवादीगण ने अपनी मौखिक साक्ष्य पेश करना नहीं चाहते। साक्ष्य प्रतिवादीगण समाप्त की गई।

बहस वकील वादीगण व प्रतिवादीगण सुनी गयी।

वकील वादी का बहस में कथन है कि वादी सन् 1960 से मंदिर ठाकुर जी वीर हनुमान जी की सेवा पूजा करता है एवं मंदिर की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी खसरा नंबर 4824 रकबा 18 बिस्वा व खसरा नंबर 4825 रकबा 1 बिस्वा व खसरा नंबर 4826 रकबा 7 बिस्वा वांके करवा करौली पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। जिसका इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में अंकित है। उपरोक्त आराजीयात से अटेच खसरा नंबर 4829 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा व खसरा नंबर 4830 रकबा 10 बिस्वा व खसरा नंबर 4827 रकबा 16 बिस्वा व खसरा नंबर 4828 रकबा 13 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन बीहड है। जिस पर वादी का संवत 2022 से लेकर आज तक कब्जा काश्त निरविघ्न रूप से चला आ रहा है। वादी का प्रतिवादी की उक्त आराजीयात पर 30 वर्ष से अधिक समय से मुखालपाना कब्जाकाश्त चला आ रहा है जो ओपन होस्टाइल एवं पजेशन है जिसकी प्रतिवादी को पूर्णतया जानकारी है। वादी मुखालपाना कब्जा के आधार पर कानून खातेदारी उक्त आराजीयात की घोषणा अपने नाम कराने का मुस्तहिक है। कि वादी का 30 वर्ष से अधिक पुराना कब्जा काश्त होने बाबत दिये गये नोटिस एव विभिन्न निर्णय खसरा परिवर्तनशील की नकल तावान की रसीदें सबूत पेश है। वादी के हक में 2.11.1977 तत्कालीन तहसीलदार भगवती प्रसाद सक्सेना ने उक्त आराजीयात वादी के नाम रेगलाईज करने की सिफारिश की आदेश की उच्चाधिकारियों ने कोई तब्बजो नही दी और मेरे विरूद्व दफा 91 एलआर एक्ट में प्रतिवर्ष जारी रही। इसके बाद मुकदमा नंबर 270/82 फैसला तहसीलदार करौली दिनांक 3.2.86 की अपील अतिरिक्त जिला कलक्टर कोर्ट करौली में की जिसके नंबर 61/86 तारीख फैसला 27.9.86 मेरे हक में हुआ जो बहुत ही महत्वपूर्ण था मगर उसकी पालना आज तक प्रतिवादी ने नहीं की जिसके बाबत वादी बार–बार लिखित एवं मौखिक निवेदन प्रतिवादी को करता चला आ रहा है। उक्त निर्णय में यह भी प्रतिवादी को आदेश है कि उक्त आराजीयात के नाम रैगूलाईज या अलॉटमेंट होने तक बेदखली कार्यवाही स्थिगित रखेगें एवं तावान के बजाये वादी से लगानी दर से लगान लिया जावें। यह निर्णय अतिरिक्त जिला कलक्टर करौली ने स्वंय बगीची का मौका देखा, नगरपालिका का अनापत्ति प्रमाण पत्र पेश होने पर दिया था। जिसमें वादी

Signature Not Veri
Digitally signed by Pre
Date: 2025.11.07 10:3
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

का कब्जा काश्त संवत 2023 से पूर्व का माना है फिर भी प्रतिवादी जबरन गैर कानूनी रूप से बेदखली की धमकी देकर तावान वसूलता आ रहा है। इसलिये वादी कब्जा काश्त से बेदखल नहीं करने तावान नहीं वसूलने को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का मुश्तहिक है। वादी 30 वर्षो से अधिक समय से जिस्मानी मेहनत एवं लाखों रूपये लगाकर जमीन को समतल कर काबिज काश्त बनाया है। जमीन किस्म अब गैर मुमकिन बीहड ना होकर चाही अब्बल हो गई है एवं चाह से सिंचित है दोनों फसल होती है एवं राजस्व रिकॉर्ड में उक्त आराजीयात गैर मुमकिन बीहड दर्ज है जो गलत है वादी इसे दुरूस्त कराकर उक्त आराजीयात को चाही अब्बल राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने का अधिकारी है। प्रतिवादी द्वारा बार–बार बेदखली की धमकी देने एवं आराजीयात को रेगूलाईज करने से इन्कार करने पर एवं प्रतिवादी द्वारा कल दिनांक 6.8.2003 को तहसील में बेदखली की धमकी देने पर दावा पेश किया है। दावा वादीगण डिक्री किया जावे।

प्रतिवादी पैरोकार एवं प्रतिवादी नंबर 2 का बहस में कथन है कि खसरा नंबर 4824 रकबा 0.18 बीघा, खसरा नंबर 2825 रकबा 0.01 बीघा, खसरा नंबर 4826 रकबा 0.07 बीघा किस्म बारानी वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में मंगल गिरी चेला गिरी कौम गोस्वामी सा. देह वीर हनुमान खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है व उक्त खसरा नंबर सेंटलमेंट खतौन जमाबंदी संवत 2015 में खाता संख्या 2124 कॉलम संख्या 03 में माफी मंदिर श्री हनुमान जी बनाम भगवान दास पुत्र हरकिशोर जाति ब्राहम्ण सा. देह दर्ज है। आराजी खसरा नंबर 4829 रकबा 2.03 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन बेहड, खसरा नंबर 4830 रकबा 0.10 बीघा किस्म गैर मुमकिन बेहड वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में नगरपालिका करौली (नगरपरिषद, करौली) के नाम दर्ज है व खसरा नंबर 4827 रकबा 0.16 बीघा, 4828 रकबा 0.08 बीघा किस्म गैरमुमकिन आबादी जोकि खाता संख्या 01 में निवास व राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है एवं सेटलमेंट खतौनी जमाबंदी संवत 2015 से खसरा नंबर 4829 व 4830 किस्म गै.मु. आबादी एवं खसरा नंबर नंबर 4827 व 4828 किस्म गै.मु. बेहड, अनाधि[illegible] कृषि अयोग्य भूमि खाता संख्या 890 में दर्ज है। सरकारी भूमि पर अतिक्रमण होने पर एल आर एक्ट की धारा 91 के तहत कार्यवाही की जाती है। सरकारी भूमि पर अतिक्रमण होने पर एल आर एक्ट की धारा 91 के तहत नियमानुसार कार्यवाही कर अतिक्रमी को बेदखल की कार्यवाही की जा सकती है। एल आर एक्ट की धारा 91 के तहत नियमानुसार कार्यवाही कर अतिक्रमी

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem
Date: 2025.11.07 10:39:
Reason: SelfAttested

अधिकारी
करौली (राज0)

के विरूद्व बेदखल की कार्यवाही की जा सकती है। वादी सन 1960 से मंदिर ठाकुर जी वीर हनुमानजी सेवा करने वाली बात सही है। इसके पश्चात दिनांक 15.9.2012 से लगातार जबाबदार शिवसिंह पूजा सेवा करता चला आ रहा है और वादी दिनांक 15.9.2012 से उक्त मदिर की सेवा पूजा से कोई संबंध व ताल्लुक नहीं है एवं मंदिर की खातेदारी कब्जे काश्त की आराजी खसरा नंबर 4824 रकबा 18 बिस्वा एवं खसरा नंबर 4825 रकबा 1 बिस्वा व खसरा नंबर 4826 रकबा 7 बिस्वा व वाके करबा करौली पर 15.9.2012 से पूर्व कब्जा काश्त होने वाली बात सही है एवं 15.9.2012 के बाद जबावदार नंबर 2 का कब्जा निरन्तर चलता चला आ रहा है एवं आराजीयात खसरा नंबर 4829 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा व खसरा नंबर 4830 रकबा 10 बिस्वा व खसरा नंबर 4827 रकबा 16 बिस्वा व खसरा नंबर 4828 रकबा 13 बिस्वा गैर मुमकिन बेहड संवत 2022 से आज तक कब्जा होने वाली बात गलत है बल्कि उक्त भूमि व मंदिर परिसर पर जबावदार नंबर 2 का दिनांक 15.9.2012 से मालिकाना काबिजाना चलता चला आ रहा है। वादी ने जबाबदार नंबर 2 शिवसिंह के हक में दिनांक 15.9.2012 को एक इकरारनाम स्टाम्प कीमती 100/– रूपये किता एक व एक सादा पेपर कुल किता 2 पर तहरीर की गई थी। जिसमें यह लिखकर दिया गया कि वीर हनुमान सायनाथ खिडकिया बाहर मैढकी करौली में स्थित है। वीर हनुमान जी की आराजी खसरा नंबर 4829 वाके कस्बा करौली में स्थित भूमि है जिसका मैं बतौर महन्त खातेदार काश्तकार काबिज हूं चूंकि मैं प्रथमपदा बहुत ही बुजुर्ग हूं मेरी उम्र लगभग 102 वर्ष की है। मुझे चलने फिरने व हनुमान जी की सेवा पूजा में कठिनाईयां होती है और मै ठीक प्रकार नहीं कर पा रहा हूं और हनुमान जी की संपत्ति जमीन जायदाद व मंदिर की देखभाल सुरक्षा के लिये शिवसिंह पुत्र गणेशसिंह जाति राजपूत निवासी महुआखेडा तहसील करौली जिला करौली द्वितीय पक्ष को नियुक्त किया है। इसकी ऐवज में मैने द्वितीय पक्ष शिवसिंह उक्त भूमि भूखण्ड पर रिहायशी निर्माण करें व रिहायश करने का पूर्ण हक व अधिकार होगा। इसमें मैं या मेरे वारिसान किसी प्रकार का उज्र नहीं करेंगे यदि [illegible] करेंगे तो झूठा माना जावेगा। आज के बाद उक्त हनुमान जी की [illegible] जमीन जायदाद मंदिर की सुरक्षा की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष शिवसिंह की होगी। यह लिखावट वादी ने प्रतिवादी के हक में स्टाम्प लिखवाकर अपने हस्ताक्षर व गवाह करणसिंह व वीरेन्द्र के हस्ताक्षर कराकर नोटेरी पब्लिक गोपाल लाल गुप्ता से तस्दीक कराकर उक्त लिखावट को वादी ने प्रतिवादी को सुपुर्दकर दी जो जबाब के साथ प्रस्तुत है। तभी से प्रतिवादी नंबर 2

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem
Date: 2025.11.07 10:39:
Reason: SelfAttested

शिवसिंह उक्त मंदिर की पूजा करता चला आ रहा है एवं उक्त संपत्ति की देखभाल करता चला आ रहा है एवं उक्त भूखण्ड 60X40 वर्गफीट पर लगातार कब्जा बनाकर कमलेश पुत्र प्रभुलाल जाति प्रजापत निवासी सलीपुरा जाखौदा वाले से उक्त भूखण्ड पर मकान बनाने का ठेका दिनांक 17.11.2012 को देकर उक्त भूखण्ड का निर्माण करवाया था तभी से उक्त भूखण्ड पर जबावदार नंबर 2 शिवसिंह लगातार निवास करता चल आ रहा है। वादपत्र का पैरा नंबर 2 गलत है और स्वीकार नहीं है। 15.09.2012 से प्रतिवादी नंबर 1 उक्त वीर हनुमानजी सेवा पूजा करता चला आ रहा है एवं उक्त स्थान पर प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा निर्माण करवाकर निवास करता चला आ रहा है एवं उक्त मंदिर व संपत्ति की देखभाल व सुरक्षा करता चला आ रहा है एवं दिनांक 15.9.2012 से वादी का उक्त मंदिर व संपत्ति से कोई ताल्लुक नहीं रहा है। वादपत्र का मद नंबर 3 में दर्ज इबारत में प्रतिवादी नंबर 2 उक्त आराजी खसरा नंबर 4829 में से एक भूखण्ड 40X60 फीट को अपने लम्बे समय से रिहायश कब्जे के आधार पर अपने नाम कराने का अधिकारी है। क्योंकि उक्त आराजी खसरा नंबर 4829 में उक्त भूखण्ड को बनवाने में लाखों रूपये खर्च कर लागत निर्माण में आयी हुयी थी एवं तभी से उक्त मंदिर की सेवा पूजा वही रह कर जबावदार नंबर 2 करता चला आ रहा है। दिनांक 15.09.2012 से उक्त संपत्ति की देखभाल सार संभाल करता चला आ रहा है। उक्त भूमि में वादी का कोई संबंध ताल्लुक नहीं है। वादी चाही गयी सहायता विरूद्ध प्रतिवादी जबाबदार प्राप्त करने का हकदार व अधिकारी नहीं है। दावा वादी विरूद्ध जबावदार प्रतिवादी मय खर्चा खारिज किया जावे।

विवाद्यक संख्या 1 व 2 को साबित करने का भार वादीगण पर है। विवाद्यक संख्या 1 व 2 आपस पूरक है जिनका निर्णय एक साथ किया जाना उचित प्रतीत होता है। विवाद्यक संख्या 1 व 2 को साबित करने के लिए वादी गवाह गौतमचंद गिरी चेला मंगलगिरी व विश्वास गिरी चेला मंगल गिरी पीडब्लू–1 के बयान लेखबद्ध कराये एवं दस्तावेजी सबूत में नोटिस धारा 91(1) एलआर एक्ट दिनांक 12.12.72 प्रदर्श–1, तहसीलदार का नोटिस दिनांक 04.05.71 प्रदर्श–2, तहसीलदार का नोटिस दिनांक [illegible] प्रदर्श–[illegible] एवं नोटिस दिनांक 16.12.71 प्रदर्श–4 व 4.7.73 प्रदर्श–5 व नोटिस [illegible] 16.3.77 प्रदर्श–6, नोटिस 91 एलआर एक्ट दिनांक [illegible] नोटिस दिनांक 12.2.75 प्रदर्श–8, नोटिस दिनांक 6.9.7[illegible] प्रदर्श–9, नोटिस दिनांक 28.9.77 प्रदर्श–10, नोटिस दिनांक 01.12.78 प्रदर्श–11, नोटिस दिनांक 3.6.81 प्रदर्श–12, नोटिस दिनांक 14.2.82 प्रदर्श–13, नोटिस दिनांक 5.5.83 प्रदर्श–14, नोटिस दिनांक 17.9.83 प्रदर्श–15, नोटिस दिनांक 17.5.83 प्रदर्श–16, नोटिस दिनांक 15.9.83 प्रदर्श–17, नोटिस दिनांक 23.9.85 प्रदर्श–18, नोटिस दिनांक 06.12.93 प्रदर्श–19, नोटिस दिनांक 07.07.79

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem
Date: 2025.11.07 10:39:
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

प्रदर्श–20, नोटिस दिनांक 19.2.99 प्रदर्श–21, नोटिस दिनांक 31.8.2000 प्रदर्श–22, खसरा परिवर्तनशील संवत 2023 से 2035 एवं संवत 2038 से 2041 एवं संवत 2055 से 2057–58, 2056, 2059 प्रदर्श–23 लगायत प्रदर्श–47, लगान रसीद प्रदर्श–48 से प्रदर्श–62, खसरा गिरदावरी संवत 2028 प्रदर्श–63, नोटिस दिनांक 28.4.87 प्रदर्श–64, नक्शा टूस प्रदर्श–65, आवेदन तहसीलदार प्रदर्श–66 एवं लगान रसीद प्रदर्श–67 व 68, आवेदन जिला कलक्टर प्रदर्श–69, खसरा गिरदावरी संवत 2036 से 2039 प्रदर्श–70, विक्रय पत्र दिनांक 23.2.75 प्रदर्श–71, नकल ऑर्डर शीट 2.11.77 प्रदर्श–72, एवं रिपोर्ट नकल तहसीलदार करौली प्रदर्श–73, निर्णय दिनांक 27.9.86 अति0 जिलाधीश करौली प्रदर्श–74, निर्णय दिनांक 01.10.2001 प्रदर्श–75, ऑर्डर शीट तहसीलदार करौली प्रदर्श–76, असल विद्युत बिल प्रदर्श–77 पेश किये है। प्रस्तुत जमाबंदी संवत 2076–79 में भूमि गैर मुमकिन बीहड दर्ज है जो अब खसरा नंबर 4829 व 4830 नगर परिषद करौली के नाम है एवं खसरा नंबर 4827 व 4828 गैर मुमकिन आबादी दर्ज है। जो राजकीय भूमि है। जिनके संबंध में वादीगण आर टी एक्ट के तहत धारा 88 के अनुसार खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के हकदार नहीं है। अतः विवाद्यक संख्या 1 व 2 वादीगण के व प्रतिवादी नंबर 2 के विरूद्व एवं प्रतिवादी नंबर 1 के पक्ष में तय कर निर्णित किया जाता है।

विवाद्यक संख्या 3 को साबित करने का भार प्रतिवादी नंबर 2 पर है। इस संबंध में प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा किसी प्रकार की साक्ष्य व दस्तावेज पत्रावली में प्रस्तुत नहीं किया है। इस प्रकार प्रतिवादी नंबर 2 विवाद्यक संख्या 3 को साबित करने में असफल रहा है। अतः विवाद्यक संख्या 3 प्रतिवादी नंबर 2 के विरूद्व एवं प्रतिवादी नंबर 1 के पक्ष में तय कर निर्णित किया जाता है।

विवाद्यक संख्या 4 अनुतोष है। विवाद्यक संख्या 1 ता 3 के विवेचन से एवं वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज से भूमि सिवायचक सरकारी एवं नगर परिषद व आबादी भूमि होने से वादीगण व प्रतिवादी नंबर 2 को किसी प्रकार के हक हकूक खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते है और वादीगण भूमि की किसी प्रकार की खातेदारी घोषणा कराने के एवं किसी प्रकार की स्थाई निषेधाज्ञा प्रतिवादी नंबर 1 के विरूद्व प्राप्त करने के अधिकारी नही है। प्रतिवादी नंबर 2 ने पुजारी होने का कोई दस्तावेज पत्रावली में पेश नही किया है। दावा वादीगण खारिज किये जाने योग्य है।

अतः दावा वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण खारिज किया जाता है। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक ...29.10.18... को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।

Signature Not Verifi
Digitally signed by Prem
Date: 2025.11.07 10:39:5
Reason: SelfAttested

(प्रेमराज मीना)
उपखण्ड अधिकारी,
करौली

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)